न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 118 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/138)

पंजीयन दिनांक– 25.02.2021

निर्णय दिनांक– 24.08.2021

समस्त ग्रामवासीयान गोपालपुरा कला (पूर्व निवासी भोपालपुरा) तहसीलराशमी, जिला चित्तौड़गढ़ जिरये प्रतिनिधिः–

1. श्री गणेशलाल पिता नोला जाट, निवासी गोपालपुरा कला, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री माधवलाल पिता नानुराम जाट, निवासी गोपालपुरा कला, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री मोहनलाल पिता गोपी जाट, निवासी गोपालपुरा कला, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री भगवानलाल पिता गोपी जाट, निवासी गोपालपुरा कला, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्री माधवलाल पिता गोपी जाट, निवासी गोपालपुरा कला, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्री प्रकाश पिता डालचंद जाट, निवासी गोपालपुरा कला, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
7. श्री मांगीलाल पिता कालुराम रावत, निवासी गोपालपुरा कला, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
8. श्री रामलाल पिता कालु जाट, निवासी गोपालपुरा कला, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
9. श्री बालुराम पिता इन्द्रमल कुम्हार, निवासी गोपालपुरा कला, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
10. श्री शंकर पिता नाथु सेन, निवासी गोपालपुरा कला, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
11. श्री देवकिशन पिता बेणीराम जाट, निवासी गोपालपुरा कला, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
12. श्री नारायण पिता किशन प्रजापत, निवासी गोपालपुरा कला, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
13. श्री रामदास पिता बालुदास बैरागी, निवासी गोपालपुरा कला, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।

14. श्री रूपलाल पिता जसराज लुहार, निवासी गोपालपुरा कला, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
15. श्री रामलाल पिता देवीलाल बेरवा, निवासी आरनी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत आरनी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़।
2. सरकार जरिये जिला कलक्टर, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री गोपाललाल जाट – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री के. जी. झंवर – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश
क्रमांक/राजस्व/12–6(2)16/888 दिनांक 10.06.2016

निर्णय

दिनांक 24.08.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/12–6(2)16/888 दिनांक 10.06.2016 के विरूद्ध दिनांक 18.11.2016 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी के साथ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में दिनांक 17.02.2020 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 25.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/ राजस्व/12–6(2)16/888 दिनांक 10.06.2016 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 के तहत भोपालपुरा, तहसील राशमी की आराजी नम्बर 48 रकबा 37.08 में से 9 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 56 रकबा 16.01 बीघा में से 10 बीघा तथा आराजी नम्बर 54 रकबा 20.19 में से 2.00 बीघा चरागाह भूमि आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत आरणी को गोपालपुरा कला एवं आरणी आबादी विस्तार हेतु आरक्षित (सेट अपार्ट) किया जाने से अप्रसन्न होकर एवं व्यथित एवं हितबद्ध पक्षकार होने से अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाललाल जाट उपस्थित व तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री के. जी. झंवर उपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 17.08.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि आराजी नम्बर 54, 48, 56 ग्राम आरणी एवं गोपालपुरा कला से लगा हुआ नही होकर दूर स्थित है, जिसे आबादी विस्तार हेतु आवंटित किया गया है, जो पूर्णतया अवैध है। ग्राम आरणी में 165 बीघा भूमि आबादी में है। गोपालपुरा में 4 बीघा पड़त आबादी जबकि भोपालपुरा की आबादी 3 बीघा पडत है कोई आबादी की आवश्यकता किसी भी गांव में नही है। ग्राम भोपालपुरा की भूमि अन्य ग्राम की आबादी विस्तार हेतु नही दी जा सकती है, राजस्व ग्राम अलग है। ग्राम गोपालपुरा कला के कुछ प्रभावी व्यक्तियों ने चरागाह में ग्राम पंचायत से पट्टे

ले रखे है एवं उक्त पट्टों को समायोजित करने एवं कब्जा करने की नियत से सरपंच से मिलीभगत कर प्रस्ताव दिलाया है। ग्राम पंचायत द्वारा कोई नो ऑब्जेक्शन नही दिया गया। सरपंच ने निजी रूप से अनापत्ति दी है जो पूर्णतया अवैध है। माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार भी चरागाह भूमि पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मात्र चरागाह का उपयोग पशु चराई हेतु ही किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 3152 दिनांक 05.10.2016 द्वारा पुनः चरागाह में आराजी नम्बर 56, 42 एवं 54 को पुनः पुर्वास्थिति कायम करने का प्रस्ताव लिया गया। चरागाह की क्षतिपूर्ति हेतु जो भूमि प्रदान की गई है, इन भूमियों का वर्णन आराजी नम्बर 61, 66, 63, 70, 51, 62, 65, व 192/65 चरागाह भूमि से लगी हुई नही है एवं शंकर रेगर, प्यार जी रेगर, रामलाल रावत, हरिसिंह के पुत्र रमेश आदि का कब्जा है जिस वजह से भी अपीलांट के पशुओं के लिए उपयोगी नही है। भूमि छोटे–छोटे टुकडों में होने से आया–जाया नही जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 21 बीघा 10 बिस्वा का होकर 4 हैक्टेयर से अधिक होने से क्षेत्राधिकार से परे है, जो खारिज किया जाने योग्य है। अपीलांट्स के हित प्रभावित होने से अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नही होने से धारा 96 जा. दी. के प्रार्थना पत्र के साथ अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट के मध्य राजीनामा होने से अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2016 से प्रकरण में वर्णित आराजीयात की ग्राम पंचायत आरणी को आबादी विस्तार हेतु आश्यकता नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2016 को पारित आदेश को निरस्त करके उक्त आराजीयात को वापस चरागाह भूमि दर्ज किये जाने पर ग्राम पंचायत आरणी को आपत्ति नही होना अवगत कराया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2016 नियमानुसार होकर उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.06.2016 की जानकारी अपीलाण्ट को दफा 5 जा.दी. मियाद के आवेदन में वर्णित दिनांक 27.10.2016 से पूर्व हो, इस बाबत् कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतएवं अपीलाण्ट के दफा 5 जा. दी. के आवेदन एवं अखण्डित शपथ–पत्र के आधार पर मियाद कण्डोन की जाती है।

प्रकरण चूंकि चारागाह भूमि को आबादी में दिये जाने से संबंधित होने के कारण न्यायालय द्वारा आदेश 1 नियम 8 जा.दी. के तहत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवायी गयी, जिसके तहत कतिपय आवेदकों द्वारा पक्षकार बनने के आवेदन पट्टे के आधार पर करने का निवेदन किया परन्तु कोई पट्टे प्रस्तुत नहीं किये गये। अतएवं उक्त आवेदकगणों का आवेदन दिनांक 28.07.2021 को खारिज किया गया।

अब हम प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा पेशशुदा दफा 96 जा.दी. के आवेदन पर विचार करना चाहेंगे। अपीलाण्ट द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण गोपालपुरा कलां के निवासी है। मूल निवास भोपालपुरा था एवं कृषि भूमि गोपालपुरा में है। पशु आदि प्रार्थीगण के विवादित भूमि भोपालपुरा के चरागाह में चरते हैं। प्रार्थीगण को क्षति हो रही है तथा उक्त आदेश से प्रार्थीगण के हित प्रभावित हो रहे हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि ग्राम गोपालपुरा कलां को एवं ग्राम आरणी को ग्राम गोपालपुरा के चारागाह भूमि से आबादी हेतु क्रमशः 2 बीघा एवं 19 बीघा भूमि

आवंटित की गयी है। चारागाह भूमि हमेशा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित रहती है एवं उसमें संबंधित ग्राम के ग्रामवासीयान पशु चरायी करते हैं। यह स्पष्ट है कि ग्राम आरणी में 165 बीघा भूमि आबादी में से एवं ग्राम गोपालपुरा में 4 बीघा आबादी पड़त है। भोपालपुरा वीरान गांव होना अवगत करवाया गया है, अर्थात् उसकी चारागाह की भूमि ग्राम गोपालपुरा एवं आरणी के लोगों के लिए उपयोग में आती है, तद्नुसार चारागाह भूमि के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ एवं अपीलाण्ट को विभिन्न समाजों के विभिन्न परिवारों के व्यक्ति है, उनके पशुओं की चराई के दृष्टिगत उन्हें चारागाह भूमि के आरक्षण से व्यथित पक्षकार माना जाकर उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाती है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये आवेदन के सन्दर्भ में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत आरणी स्वयं ने राजीनामा दिनांक 24.02.2021 को प्रस्तुत किया है, जिसे इस निर्णय के साथ संलग्न किया जावें एवं जबाब भी प्रस्तुत कर अपील से अपनी सहमति व्यक्त की है। प्रकरण में ग्राम आरणी के सरपंच एवं सचिव दोनों की ओर से यह दिनांक 09.07.2021 को लिखित में प्रार्थना–पत्र दिया गया है कि उक्त आराजीयात में से ग्राम पंचायत आरणी के किसी व्यक्ति को कोई पट्टा आज तक जारी नहीं किया गया है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के आबादी प्रयोजनार्थ चारागाह की भूमि आरक्षित किये जाने के सन्दर्भ में ग्राम पंचायत आरणी को उसके ग्राम गोपालपुरा एवं ग्राम आरणी के आबादी विस्तार हेतु अपीलाधीन आदेश 888 दिनांक 10.06.2016 से वीरान गांव भोपालपुरा की चारागाह आराजी नं0 54, 48 एवं 56 में से ग्राम गोपालपुरा आराजी नं0 54 चारागाह में से 2 बीघा भूमि आबादी आरक्षित की गयी। इसी प्रकार ग्राम आरणी की आबादी विस्तार के लिए चारागाह आराजी नं0 48 एवं 56 में से क्रमशः 9.1 बीघा एवं 10 बीघा यानि 19.10 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु दी गई है एवं इसके बदले में आराजी नं0 61, 63, 70, 51, 62, 65,

192/65 बिलानाम की चारागाह से क्षतिपूर्ति की गयी है। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाण्ट के आवेदन की अपील से सहमति देकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया है तथा वर्णित किया गया है कि उक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है। आबादी हेतु लाभान्वित पक्षकार एवं आबादी की भूमि के आवंटन हेतु पंचायत स्वयं सक्षम अधिकारी है एवं वह स्वयं ही चारागाह भूमि को जैसाकि वह कस्टोडियन होता है, उसको वह स्वयं उक्त चारागाह भूमि को निरस्त कर आबादी में किये गये आरक्षण को नहीं रखने चाहती एवं उसे पुनः चरागाह ही रखना चाहती है, इस हेतु उसके द्वारा जो जबाब, राजीनामा एवं इस भूमि में किसी प्रकार के पट्टे नहीं दिया जाना वर्णित करता है तो ऐसी स्थिति में हम अपील स्तर पर यह उचित समझते हैं कि निर्णय के साथ अपील मेमों (दिनांक 18.11.2016), ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया जबाब (दिनांक 24.02.2021), राजीनामा (दिनांक 24.02.2021) एवं आबादी आरक्षित भूमि में किसी प्रकार के पट्टे नहीं दिये (दिनांक 06.09.2021) जाने के जबाब/अभिकथनों की प्रमाणित प्रतियों को निर्णय के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में राजीनामे व समुचित जांच व सुनवाई के बाद उक्त चारागाह के आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षण के निर्णय पर बाद जांच समुचित निर्णय पारित करें। इस दौरान अपीलाण्ट को भी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जावें। उपरोक्तानुसार यह अपील इस प्रेक्षण के साथ निष्पादित की जाती है कि इस न्यायालय में प्रस्तुत अभिकथनों एवं मुख्यतः राजीनामे के आधार पर बाद जांच निर्णय करने हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर